

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/

दिनांक

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1	श्री रीछपाल बुनकर, कनिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय, अजीतगढ़, सीकर।	01 07 1959	30 06 2019
2	श्री सुखदेवा राम जाट, वरिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वा केन्द्र, नेछवा, सीकर।	14 08 1959	31 08 2019
3	श्री रामचन्द्र मीणा, कनिष्ठ सहायक	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	21 08.1959	31 08 2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

57 /

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 11/03/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/697

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

- 1 निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
- 4 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय, अजीतगढ़, सीकर।
- 5 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वा केन्द्र, नेछवा, सीकर।
- 6 डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
- 7 सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
- 8 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 9 आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

7

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर